कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक (वन्यजीव) मध्यप्रदेश

(कक्ष- स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स मध्यप्रदेश)

E-mail—pccfwl@mp.gov.in

प्रेस विज्ञप्ति (81/26, दिनांक 27.10.2026)

वन्य जीव कछुओं कि तस्करी में शामिल आरोपी का द्वितीय जमानत आवेदन जिला एवं सत्र न्यायलय इंदौर द्वारा निरस्त

स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स, मध्यप्रदेश कि क्षेत्रीय इकाई इंदौर द्वारा वन्यजीव कछुओं की महाराष्ट्र से मध्यप्रदेश अन्तरराज्जीयय तस्करी करने वाले गिरोह के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए 02 आरोपियों से दुर्लभ प्रजाति के 30 नग कछुए जप्त कर वन अपराध प्रकरण POR No. 3951/02 दिनाँक 19/08/2026 दर्ज विवेचना कि जा रही है. प्रकरण में आज दिनांक तक 05 आरोपियों को गिरफ्तार कर माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा चुका है. पांचो आरोपी वर्तमान में जेल में निरुद्ध है. प्रकरण में गिरफ्तार एक आरोपी बिलाल कादरी शाह पिता गुलाम शाह, उम्र 27 वर्ष, निवासी इंदौर द्वारा माननीय सत्र न्यायालय इंदौर के समक्ष **द्वितीय जमानत आवेदन क्रमांक BA/4087/2026 इस आधार पर लगाया गया कि प्रकरण में आरोपी के विरुद्ध विचारण न्यायालय के समक्ष परिवाद पत्र प्रस्तुत किया जा चुका है.**

माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश विशेष न्यायालय क्रमांक 7 (विद्युत अधिनियम), इंदौर के समक्ष सुनवाई के दौरान स्टेट टाइगर स्ट्राइक फोर्स द्वारा अभियोजन के माध्यम से ली गई आपत्ति के तथ्यों से संतुष्ट होकर माननीय न्यायालय द्वारा **दुर्लभ वन्यजीवों की तस्करी से सम्बंधित प्रकरण में विवेचना के दौरान मात्र परिवाद पत्र प्रस्तुत होने को जमानत स्वीकार करने हेतु परिस्तिथियों में परिवर्तन ना मानते हुए तथा आरोपी को जमानत का लाभ देने पर आरोपी द्वारा साक्ष्य को प्रभावित करने की सम्भावना होने से** जमानत आवेदन निरस्त किया गया.

अधिकृत अधिकारी
कार्यालय प्रधान मुख्य वनसंरक्षक (वन्यजीव)
मध्यप्रदेश, भोपाल